दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.33/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
31.10.2023	पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी मांगीलाल चौधरी पुत्र श्री देवाराम चौधरी, निवासी– लाटाडा, पोस्ट– मुण्डारा, तहसील– बाली, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म श्री बाबा रामदेव होटल, हाईवे रोड, बामनवाड जी, तहसील–पिण्डवाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यंह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 22.1..2022 को फर्म श्री बाबा रामदेव होटल, हाईवे रोड, बामनवाड जी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मांगीलाल चौधरी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-1613 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./296/Act/2022/277 दिनांक 11.2.2022 में अमानक (**Sub-standard**) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित् करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर सुनवाई तिथि 27.6.2023 को प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह आढा ने वकालतनामा पेश किया व प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, लेकिन उसके बाद नियत सुनवाई तिथि पर प्रतिवादी के वकील उपस्थित नही हुये एवं न ही प्रतिवादी उपस्थित हुआ। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 22.1.2022 को फर्म श्री बाबा रामदेव होटल, हाईवे रोड, बामनवाड जी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मांगीलाल चौधरी पुत्र श्री देवाराम चौधरी, निवासी–लाटाडा, पोस्ट–मुण्डारा, तहसील– बाली, जिला– पा[illegible]ल के फ्रिज के अन्दर स्टील की प्लेट में आम [illegible] हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ पनीर ल[illegible] किलोग्राम पनीर ....लगा[illegible]	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:10:00 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.33/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष राशि रुपये 360/– (अक्षरे रुपये तीन सौ साठ मात्र) में कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-1613 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./296/Act/2022/277 दिनांक 11.2.2022 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी मांगीलाल चौधरी ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर के विक्रय हेतु प्रतिवादी मांगीलाल चौधरी पुत्र श्री देवाराम चौधरी, निवासी– लाटाडा, पोस्ट– मुण्डारा, तहसील– बाली, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म श्री बाबा रामदेव होटल, हाईवे रोड, बामनवाड जी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी मांगीलाल चौधरी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 12.12.2023 को पेश हो। (डॉ. भास्कर बिश्नोई) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:10:00 IST
Reason: SelfAttested